

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 अप्रैल 2020 — वैशाख 9, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 फरवरी 2020

संकल्प

क्रमांक एफ 10-5/2005/1/5. — समसंख्यक संकल्प दिनांक 25 जनवरी, 2005 द्वारा छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “छत्तीसगढ़ बायो-फ्यूल विकास प्राधिकरण” (Chhattisgarh Bio-Fuel Authority) (CBDA) नामक एक विशिष्ट प्राधिकरण की स्थापना की गई है. राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त संकल्प क्रमांक एफ 10-5/2005/1/5 दिनांक 25 जनवरी, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त संकल्प में -

संकल्प में, शब्द “कार्यपालक निदेशक” जहां कहीं भी आयें हों, के स्थान पर, शब्द “मुख्य कार्यपालन अधिकारी” प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी.डी.सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 12 th February 2020

RESOLUTION

SN. F 10-5/2005/1/5. — Vide even number resolution dated 25 January 2005 Government had stablished a specific authority to be known as “Chhattisgarh Bio-Fuel Authority” (CBDA) for promotion of Bio-Fuel in Chhattisgarh. State Government, hereby, makes following further amendment in resolution F 10-5/2005/1/5, dated 25 January 2005, namely:-

AMENDMENT

In the said resolution-

In resolution, for the words “Executive Director” wherever they occur, the word “Chief Executive Officer” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.D. SINGH, Secretary.